



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक 16.07.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 227/24 धारा 109/131/115(2)/351(3) बी0एन0एस0 मे वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.07.2024 को वादी आशु सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम मुरलीवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अनिल कुमार, 2.अरुण कुमार, 3.विशाल कुमार व 4.देवा कुमार द्वारा वादी, वादी के भाई व पिता के साथ लाठी डन्डो से मारपीट की गई, जिससे वादी का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया तथा अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई । इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर अभियोग पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

आज दिनांक 16.07.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.विशाल कुमार पुत्र संजय कुमार 2.देवा कुमार पुत्र दिनेश कुमार निवासीगण ग्राम बालकिशनपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर 3.अरुण कुमार पुत्र सुनील कुमार व 4.अनिल कुमार पुत्र दीपचन्द निवासीगण ग्राम मुरलीवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अनिल कुमार पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम मुरलीवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. अरुण कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम मुरलीवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
3. विशाल कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी ग्राम बालकिशनपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
4. देवा कुमार पुत्र दिनेश निवासी ग्राम बालकिशनपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.व0उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. का0 572 शुभम चौधरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 2335 विजय कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 16.07.2024

थाना नहतौर पुलिस द्वारा “ऑपरेशन क्लीन” के अन्तर्गत 49 वाहनों की नीलामी कराई गयी।

कार्यवाही –

जनपद में मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे “ऑपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.07.2024 को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी धामपुर द्वारा गठित टीम, क्षेत्राधिकारी धामपुर, नायाब तहसीलदार, प्रभारी निरीक्षक नहतौर, एचएम माल नहतौर आदि की उपस्थिति में 207 एमवी एक्ट के कुल 49 मालों (दो पहिया/चार पहिया वाहनो) की थाना नहतौर पर नीलामी की कार्यवाही की गई, जिसमें कुल 17 बोलीदाता/ठेकेदारों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिनका अनुमानित मूल्य 3,50,600 रुपये था, जिनको 4,21,000/- रुपये में नीलाम किया गया।



टीम का विवरण

1. श्री सर्वम सिंह, क्षेत्राधिकारी धामपुर जनपद बिजनौर।
2. श्री विवेक तिवारी नायाब तहसीलदार धामपुर बिजनौर।
3. श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नहतौर बिजनौर।
4. श्री जितेन्द्र सिंह, उ0नि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
5. हैड का0 213 रामवीर सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर


प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 16.07.2024

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा बाल अपचारी को अवैध शस्त्र सहित पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 16.07.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बाल अपचारी को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस सहित पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । इस सम्बंध मे थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 211/24 धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सुभाष कुमार राणा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 620 मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 3.हे0का0 397 शक्ति पंवार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक 16.07.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 498/2024 धारा 420/467/468/471/406/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को धोखाधडी में प्रयुक्त लैपटॉप, सटैम्प / मोहर एवं फर्जी प्रपत्र/कागजात सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.06.2024 वादी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री मेहर सिंह निवासी मौहल्ला काजीपाड़ा ईदगाह रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अमित पुत्र स्व0 श्री राम कृष्ण 2.जितेन्द्र पुत्र स्व0 श्री नत्थू सिंह पाल 3.नवनीत पुत्र नन्द किशोर निवासीगण मौहल्ला चाहशीरी बी-24 रामलीला मैदान के गेट के सामने थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा छल/कपट पूर्वक धोखाधडी करते हुए कूट रचित दस्तावेज तैयार कर बेईमानी से 1.40 करोड़ रुपयों का गबन किया गया तथा टीम के सभी एडवाइजर की चार करोड़ रुपये की देन-दारी बाकी है एवं अभियुक्तगण द्वारा पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 498/2024 धारा 420/467/468/471/406/506 भादवि बनाम अमित आदि उपरोक्त कुल 03 नफर पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 16.07.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अमित कुमार वर्मा पुत्र स्व0 राम किशन मौ0 बुखारा विदुरकुटी रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक लेपटॉप (TOSHIBA), ग्राहको के नाम रोज का लेखा जोखा (DAY BOOK), स्टैम्प / मुहर / पासबुक LOKHIT NIDHI LIMITED, एवं अन्य फर्जी प्रपत्र / कागजात बरामद किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

अमित कुमार वर्मा पुत्र स्व0 राम किशन मौ0 बुखारा विदुरकुटी रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त एक लेपटॉप (TOSHIBA)
ग्राहको के नाम रोज का लेखा जोखा (DAY BOOK)
स्टैम्प / मुहर / पासबुक LOKHIT NIDHI LIMITED
विभिन्न फर्जी प्रपत्र / कागजात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

प्रभारी निरीक्षक श्री उदयप्रताप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
व0उ0नि0 श्री मृदुल कुमार कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
कां0 948 विजय देशवाल थाना को0शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक 16.07.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 16.07.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मौ० इमरान पुत्र इदरीस अंसारी निवासी मौ० मियावाली मस्जिद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ० इमरान पुत्र इदरीस अंसारी निवासी मौ० मियावाली मस्जिद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ०नि० श्री कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.हे०का० 137 असकर खाँ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक- 16.07.2024

थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 248/2024 धारा 323/307/504/506/34
भादवि के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 24.06.2024 को वादी श्री आरिफ अहमद पुत्र जहुर अहमद निवासी ग्राम बुढपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नहतौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.इकरामु हसन पुत्र शफीक अहमद 2.शाकिर अहमद पुत्र इकरामु हसन 3.जाकिर अहमद पुत्र इकरामु हसन 4.जाहुल अहमद पुत्र इनामुल हसन समस्त निवासीगण ग्राम बुढपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई व भतीजे के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड व लाठी-डन्डों से वार किया गया, जिससे वो दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गये । इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर अभियोग पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही का विवरण:-

आज दिनांक 16.07.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त इकरामुल हसन पुत्र सद्दीक हसन निवासी ग्राम बुढपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इकरामुल हसन पुत्र सद्दीक हसन निवासी ग्राम बुढपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.प्र0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 2482 अक्षय कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 1861 विकाश कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक- 16.07.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 653/2024 धारा 109/352
बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.07.2024 को वादी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री चन्द्रवीर सिंह निवासी ग्राम शादीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त तौसिफ उर्फ तौफिक पुत्र खुर्शीद निवासी मौ0 बुखारा उर्फ मुकरपुर खेमा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई के साथ रुपयो के लेन-देन को लेकर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से चाकू वार किया गया, जिससे वह गम्भीर रूप घायल हो गया। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही का विवरण:-

आज दिनांक 16.07.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त तौसिफ पुत्र खुर्शीद निवासी मौ0 मुबारकपुर खेमा उर्फ बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

तौसिफ पुत्र खुर्शीद निवासी मौ0 मुबारकपुर खेमा उर्फ बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री सुमित राठी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2.का0 1084 मोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 3.का0 1892 दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक- 16.07.2024

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 156/2024 धारा 498ए/354ख/323/506/427 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना हल्दौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.हिरिया देवी पत्नी हरि सिंह 2.हरि सिंह 3.संजीव कुमार पुत्र हरि सिंह 4.संदीप 5.प्रशान्त 6.नीरज 7.रंजित व 8.अक्षित समस्त निवासीगण ग्राम फरीदपुर सधीरन थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी को दहेज के लिए प्रताडित कर बार-बार अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी तथा वादिनी व वादिनी की बहन को जान से मारने की धमकी देकर उनके साथ मारपीट की गयी । इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर अभियोग पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही का विवरण:-

आज दिनांक 16.07.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम फरीदपुर सधीरन थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

संजीव कुमार पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम फरीदपुर सधीरन थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.म0उ0नि0 अन्नु कुमारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 142 मुनेन्द्र कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक-16.07.2024

थाना स्योहारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इस्लामनगर में छत से गिरकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 16.07.2024 समय 07.00 बजे थाना स्योहारा पर सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 15.07.2024 की दोपहर समय 02.00 बजे थाना स्योहारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इस्लामनगर में शंकर (उम्र 62 वर्ष) पुत्र भगवाना निवासी ग्राम छज्जपुरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर छत से गिर गया है, जो अपने चाचा सोमनाथ निवासी ग्राम इस्लामनगर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के यहाँ आया हुआ था । परिजनों द्वारा शंकर उपरोक्त को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसे चिकित्सकों द्वारा शंकर को मृत घोषित कर दिया गया । वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है । स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा जा रहा है । घटना के समस्त बिन्दुओं पर गहनता से जांच की जा रही है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

